

F. No. 2(54)/08-DPE (WC) - G L - ~~XVI~~/14
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan,
Block 14, CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003, the 22nd September, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Payment of DA to the CDA pattern employees of 69 CPSEs governed by HPPC recommendations w.e.f. 01.07.2014.

The undersigned is directed to refer to Para No. 2 and Annexure-III to this Department's O.M. dated 14.10.2008 wherein the rates of DA payable to the employees who are following CDA pattern pay scales had been indicated.

2. The DA payable to the employees may be enhanced from the existing rate of 100% to 107% with effect from 01.07.2014.
3. The payment of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
4. These rates are applicable in the case of CDA employees whose pay have been revised with effect from 01.01.2006 as per DPE O.M. dated 14.10.2008.
5. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the Central Public Sector Enterprises under their administrative control for action at their end.



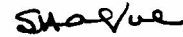
(Samsul Haque)
Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
3. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
4. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. NIC, DPE.



(Samsul Haque)
Under Secretary

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

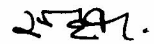
दिनांक 22 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित 69 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को 01.07.2014 से महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है।

2. कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 100% से बढ़ाकर दिनांक 01.07.2014 से 107% कर दी जाए।
3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।
4. ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2006 से संशोधित कर दिया गया है।
5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।



(समसुल हक)

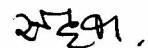
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार ।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग।



(समसुल हक)

अवर सचिव